कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 21(8)2024–25 / विकास / प्रमुवसं / 4975 दिनांकः 31/07/2024

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसख्यक आदेश क्रमांक 4103 दिनांक 10.07.2024 द्वारा 75 वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन हेतु उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियाघर, जयपुर को वर्ष 2024–25 में राशि रू. 25.00 लाख का आंवटन किया गया। जिसमें आंशिक सशोधन होने के उपरांत मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 9(22)विकास / मुवसंज / 2024–25 / 5054 दिनांक 24.06.2024 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 मे निम्नानुसार वन मण्डलों को संशोधित बजट आंवटन किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	बजट मद	पूर्व में आंवटित राशि (लाखो में)	संशोधित आंवटित राशि (लाखो में)
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर	उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियांघर, जयपुर	2406–01–101–10–00–30 उत्सव एवं प्रदर्शनी	25.00	25.00
		2406–01–101–06–00–40 अनुसंधान,मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	0.00	10.00
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	उप वन संरक्षक, जयपुर	2406–01–101–06–00–40 अनुसंधान,मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	0.00	35.00

आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये –

1. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
2. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो / आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. वित्त (आय–व्ययक) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F.4(1)FD-I(1)BUGET/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिए गए निर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही / स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

ह०
(अनुराग भारद्वाज)
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ 21(8)2024–25 / विकास / प्रमुवसं / 4976–84 दिनांकः 31.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर / जंयपुर
3. उप वन संरक्षक, वन्य जीव,चिडियाधर, जयपुर / जयपुर
4. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलित शाखा (सांखियकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु) / रक्षी पत्रावली ।

(सेडूराम यादव)
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
राजस्थान,जयपुर

D:\Users\RAMESH\Desktop\Misc c 2024-25.docx